आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–62/2019

भूवनेश्वर साह.....वादी

बनाम्

रेणु सिन्हा.....प्रतिवादी

आदेश

3/4/21

प्रस्तुत वाद आवेदक ने मौजा–शेखपुरा में गठित जमाबंदी सं0 439 के रद्दीकरण हेतु दायर किया। प्रस्तुत वाद में सन्निहित भूमि का विवरण निम्नवत है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
शेखपुरा	15	288/294मी0	0–2–0

आवेदक का अभिकथन ह कि उन्होंने अपनी माता अनुपी देवी के नाम से निबंधित केवाला दिनांक–05.05.1976 को प्रश्नगत खाता खेसरा का 8 कट्ठा भूमि क्रय किये और तत्पश्चात अनुपी देवी के नाम से जमाबंदी सं0 214 गठित हुई जिसके अंतर्गत आवेदक लगान अदाय कर रशीद कटाते आ रहे थे। दिनांक–01.11.2018 को जब आवेदक लगान अदाय कर रशीद कटाने गए तब राजस्व कर्मचारी द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक की माता अनुपी देवी के नाम से गठित जमाबंदी सं0 214 से रकवा 2 कट्ठा खारिज होकर दाखिल खारिज वाद सं0 1/23–09–10 के द्वारा विपक्षी के नाम से गठित जमाबंदी सं0 439 पर आमद हो गया है। आवेदक अंकित करते है कि तत्पश्चात उन्होंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस तथ्य की जानकारी प्राप्त किये। आवेदक यह भी अंकित करते है कि उन्होंने विपक्षी को कभी कोई जमीन बिक्री नहीं किया है तथा विपक्षी ने अवैध रूप से आवेदक की जमाबंदी सं0 214 से प्रश्नगत खाता खेसरा का रकवा 2 कट्ठा खारिज कर जमाबंदी सं0 239 पर आमद कर दिया गया है। अतः आवेदक ने उपरोक्त वर्णित आधारों पर मौजा–शेखपुरा में गठित जमाबंदी सं0 239 को रद्द करने की प्रार्थना किये। आवेदक ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किये :–

1. केवाला दिनांक 05.05.1976 की प्रति।
2. जमाबंदी सं0 214 के अंतर्गत निर्गत लगान रसीद की प्रति।
3. एप्लीकेशन फॉर इन्फारमेशन दिनांक–28.11.18 एवं 29.11.18 की प्रति।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ गई का बारे में तारीख के
1	2	3
	4. दाखिल खारिज वाद सं0 1/23–2009–10 के आदेश फलक की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति हेतु दाखिल चिरकुट की प्रति। प्रस्तुत वाद में विपक्षी नोटिस तामिला एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वाद में एकपक्षीय सुनवाई कर वाद को आदेशार्थ निश्चित किया गया। आवेदक के अभिकथन एवं उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन निम्नलिखित है :– 1. आवेदक की ओर से दाखिल केवाला दिनांक–05.05.76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की माता अनुपी देवी के नाम से मौजा शेखपुरा में प्रश्नगत खाता खेसरा का 8 कट्ठा भूमि होरिल पासवान से खरीदा गया था। 2. आवेदक की ओर से दाखिल जमाबंदी सं0 214 के अंतर्गत निर्गत लगान रशीद सं0 268434 दिनांक–11.02.85 एवं दिनांक–28.11.18 को निर्गत एप्लीकेशन फॉर इन्फारमेशन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक की माता अनुपी देवी के नाम से मौजा–शेखपुरा में रकवा 8 कट्ठा के लिए जमाबंदी सं0 214 गठित हुई तथा दाखिल खारिज वाद सं0 1/23–09–10 के अनुसार जमाबंदी सं0 214 से रकवा 2 कट्ठा खारिज होकर जमाबंदी सं0 239 पर आमद किया गया। 3. आवेदक की ओर से दाखिल एप्लीकेशन फॉर इन्फारमेशन दिनांक–29.11.18 की प्रति के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि मौजा–शेखपुरा में जमाबंदी सं0 239 विपक्षी के नाम से रकवा 1–18–12–3 के लिए दाखिल खारिज वाद सं0 1/22–09–10, 1/23–09–10, 1/24–09–10 एवं 1/26–09–10 के द्वारा गठित हुआ तथा इस एप्लीकेशन फॉर इन्फॉरमेशन से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी के नाम से गठित जमाबंदी सं0 239 का रकवा 1–18–12–3 है परन्तु इसमें से केवल 2 कट्ठा ही जमाबंदी सं0 214 से खारिज होकर आमद हुआ है तथा शेष रकवा दीगर जमाबंदी सं0 2, 321 एवं 266 से आमद हुआ है। 4. आवेदक की ओर से दाखिल चिरकुट दिनांक–18.07.18 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक ने दाखिल खारिज वाद सं0 1/23–09–10 के आदेशफलक की प्रमाणित प्रति प्राप्ति हेतु आवेदन दिया था परन्तु अभिलेख नष्ट हो जाने के कारण उन्हें दाखिल खारिज वाद सं0 1/23–09–10 के आदेशफलक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराया जा सका। 5. आवेदक की ओर से दाखिल केवाला दिनांक 22.11.2006 के अवलोकन से स्पष्ट ह कि विपक्षी ने मौजा–शेखपुरा में खाता 35 खेसरा 285 का रकवा 0–2–0 सुरेश साह वगैरह से क्रय किये परन्तु उन्होंने अनुपी देवी के नाम से गठित जमाबंदी सं0 214 से रकवा 0–2–0 खारिज कराकर जमाबंदी सं0 239 पर आमद करा दिया। जो स्पष्टतः विधि के विरूद्ध है।	

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदक की माता अनुपी देवी के नाम से गठित जमाबंदी सं0 214 के रकवा 0–8–0 में से रकवा 0–2–0 खारिज होकर जमाबंदी सं0 239 पर आमद हुआ। जो विधि के प्रतिकूल है क्योंकि अनुपी देवी या आवेदकगण ने विपक्षी को भूमि बिक्री नहीं किया। यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी के नाम से गठित जमाबंदी सं0 239 का कुल रकवा 1–18–12–3 है जो भिन्न–भिन्न जमाबंदी से रकवा खारिज कर भिन्न–भिन्न दाखिल खारिज वाद से गठित हुआ है जिसकी खातिर आवेदक ने केवल 2 कट्ठा भूमि जो जमाबंदी सं0 214 से खारिज हुआ है के संबंध में आक्षेप किया है।

अतः प्रस्तुत वाद में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 आकर्षित नहीं होती है बल्कि उक्त अधिनियम की धारा 8 आकर्षित होती है। प्रस्तुत वाद में विपक्षी नोटिस के तामिला के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए जिससे भी प्रतीत होता है कि विपक्षी को आवेदक के कथन के प्रतिकूल कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में मौजा–शेखपुरा में गठित जमाबंदी सं0 239 में दाखिल खारिज वाद सं0 1/23–09–10 के द्वारा आमद किये गए रकवा 0–2–0 को विलोपित करते हुए उक्त रकवा को जमाबंदी सं0 214 में पूर्ववत करने का आदेश दिया जाता है तथा जमाबंदी सं0 239 शेष बचे रकवा के लिए कायम रहेगी। क्योंकि इस रकवा के संबंध में कोई आक्षेप नहीं है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खगड़िया को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 333 दिनांक 24.6.21
प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया